89 Written Answers

90

कि देश में खाद्य तेलों की मांग व आपूर्ति के बीच अन्तर है। इसके लिए कुछ कारण आ बादी में वृद्धि होने की वजह में वृद्धि होना तथा लोगों का वढ़ता हुआ जीवन स्तर है । कृषि मंत्रालय के अनुसार देश में खाद्य तेलों की मांग को पूरा करने के लिए आठवीं पंचत्रधीय योजना के अंत तक खाद्य तिलहनों की 230 लाख. मी० टन मात्रा का उत्पादन करना अपेक्षित है।

उत्तर प्रदेश में गोदामों ग्रौर भाण्डायारों की कमी

803 प्रो० राम बख्या सिंह वर्माः क्या नागरिक आधूति, उपभोक्ता मामले प्रौर साबंजनिक बितरण मंत्री यह बताने की ऋषा करेंगे कि:

(क) क्वा यह सच है कि सार्वजनकि वितरण प्रणासी के ग्रन्तर्गत ग्रावस्थक वस्तुओं के भंडारण के लिए उत्तर प्रदेश में पर्याप्त गोदाम और भांडागार उपलब्ध नहीं हैं ; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो भंडागारों और गोदामों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या जदम उठाए जा रहे हैं ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले बौर सार्धजनिक वितरण मंत्री (औ बूटा सिंह) :उत्तर प्रदेश सरकार से ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हई है ।

(ख) केन्द्रीय सरकार, संपुष्ट सार्व-अनिक वितरण प्रणाली के तहत स्राने वाले क्षेत्रों में गोदामों का निर्माण करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता देती है ।

दिल्ली में गोडामों की कमी

804. प्रो॰ राम बख्स सिंह वर्मा : क्या नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले ग्रीर सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की क्रमा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली ^म' सागरिक आपूर्ति विभाग के गोदामों की शारी कमी है क्रौर गोदामों के दूर-दूर होने के कारण विश्राग को परिवहन का ज्यादा खर्च उठाना पड़ता है ;

(ख) यदि हो, तो क्या दिल्ली सरकार ने नए गोदाम बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है;

् (ग) क्या केन्द्रीय सरकार इस प्रस्ताब पर विचार कर रही है ग्रौर यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या दिल्ली सरकार ने साहिबा-वाद और लोनी में गोदामों के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार को कोई प्रस्ताब भेजा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले ग्रौर सार्वजनिक थितरण मंद्री (श्री बटा सिंह) : (क) जी, नहीं। दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के पास दिल्ली में-केवल तीन गोदाम हैं । तथापि, खाद्यान्न क्योंकि सार्व जनकि विदारण प्रणालों के तहत वितरित की जाने वाली वस्तुम्रों का एक बड़ा भाग होते है। अतः इन्हें दिल्ली की उचित दर दुकानों को भारतीय खाद्य नियम, जिसके दिल्ली में छः गोदाम हैं, के गोदामों से जारी किया जाता है । यह कहना सही नहीं होगा कि दिल्ली में गोदामों को भारी कमी है । राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार नें गोदामों की ग्रावस्थिति के कारण उच्च **ुलाई स्थागत की कोई घटना सुचित नही** की है।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने संपुष्ट सार्वजनकि वितरण प्रजाली के तहत लाये गए क्षेत्रों में गोदामों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता मुहैय कराने के लिए केंद्रीय सरकार की योजना स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता की मांग की थी। 91 Written Answers

[RAJYA SABHA]

to Questions 92

(ग) 17.60 करोड़ रुभए की लागत से दो गोदामों के निर्माण हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के प्रस्ताय पर वित्तीय सहायता हेतु विचार नहीं किया जा सका क्योंकि उक्त योजना स्कीम के अंतर्गत संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत न आने वाले क्षेत्रों में है गोदामों का निर्माण शामिल नहीं हैं।

(घ) ग्रौर (इ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने सूचित किया है कि मारतीय खाद्य निगम के कहने पर उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से लोनी स्थित गोदाम को दिल्ली के लिए एक फीडर गोदाम के रूप में घोषित करने तथा दिल्ली को खाद्यानों की विश्री को फेंद्रीय दिश्री कर से मुक्त करने हेतु अनुरोध किया था इस प्रस्ताव पर उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतित्रिया जात नहीं है ।

उचित वर की हुकानों से खाधाओं की आपूर्ति में गिरावट

805 श्रीमती सरला माहेक्वरी : क्या नागरिक आपूर्ति उपमोक्ता मामले ग्रोर साबँजनिक वितरण मंत्री यह वताने की रूपा करेंगे कि : (क) क्या यह सम्म है कि पिछले तीन वर्षों के दारान, उचित दर की दुकानों से की जाने वाली खाद्याक्षों की ग्रापूर्ति की माला में उससे पहले के वर्षों की तुलना में गिराबट आई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ग्रौर यदि नहीं, तो पिछले तीन वर्षों के दाँरान उचित दर की दुकानों से की गई खादान्नों की ग्रापूर्ति मैं उससे पहले के वर्षों की तुलना में कितनी रही ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले प्रोर सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री ष्ट्रहा सिंह) (क) ग्रीर (ख) केंद्रीय सरकार, सार्वजनकि वितरण, प्रणाली के जरिए वितरण हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेक्रों का खाद्यान्नों का योक में प्रावंटन करती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के भीतर खाद्यान्नों का वितरण ग्रीर ग्रापूर्ति उनकी स्वय की प्रचालनात्मक जिम्मेदारी है । केंद्रीय सरकार के पास उपलब्ध सूचना के ग्रनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा खाद्यानों की निम्नलिखित माला वितरित किए जाने की सूचना है :---

(लाख मी॰ टन)

89-90	90-91`		92-93	93-94	94-95	
139.12	144.84	105.12	163.95	144.72	89.93*	

*दिसम्बर, 1994 तक)

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यानों का गठन कई वातों, जैसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में खाद्यान्नों का उत्पादन, मौसम-जन्य मांग, खाद्यान्नों के खुले बाजार के मूल्य तथा खाद्यान्नों के केंद्रीय निर्मम मूल्य पर बिर्भर करता है । देश के प्रधिकांश भागों में मुख्यतः सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रस्तिम खुदरा मूल्यों से थोड़े से ही प्रधिक मूल्यों पर खादद्यान्न प्रासानी से उपलब्ध होने के कारण वर्ष 1992-93 से 1994-95 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रश्नाली से खाद्यान्नों के उठान में कमी ग्राई है ।

Non-official Committees on PDS in Gujarat

806. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pelased to state :

(a) whether there are non-official committees on the Public Distribution System in state of Gujarat;

(b) if so, when were they last reconstituted and what are their salient features; and

(c) the reasons for non-reconstitution of these committees for a long time?